

तत्काल

विधानसभा प्रश्न

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली  
विधायी कार्य शाखा/प्रश्न कक्ष

संख्या:डी0ई0-25 (13 ) 183

वि0कार्य/2017-18/विभिन्न/खण्ड-II/968

दिनांक 4/6/18

सेवा में,

उपसचिव, ( प्रश्न कक्ष )

दिल्ली विधान सभा सचिवालय,

पुराना सचिवालय, दिल्ली 110054

विषय:- विधानसभा तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या 01—दिनांक 6/6/18 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपकी सेवा में दिनांक 6/6/18 को विधानसभा में पूछे गये उपरोक्त तारांकित /अतारांकित प्रश्न की 100 प्रतिलिपियाँ भेजने का निर्देश हुआ है। जोकि आपको प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार



(विधायी कार्य शाखा )

DDE (PGMS)  
Dte. of Education  
Govt. of NCT of Delhi

विभाग का नाम :- शिक्षा विभाग

विभाग का पता :- पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054


अतारंकित प्रश्न संख्या :- 01

दिनांक :- 06.06.2018

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री मनजिंदर सिंह सिरसा

क्या उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

प्रश्न		उत्तर		
(क)	राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित किन-किन विद्यालयों में कितने अतिरिक्त कमरे बनाए जाने का प्रस्ताव है;	राजौरी गार्डन विधान सभा क्षेत्र के निम्न स्कूलों में फेस 2 के अंतर्गत अतिरिक्त क्लास रूमस के निर्माण का प्रस्ताव है:-		
		क्रम	स्कूल का नाम	कक्षा कक्षाओं का निर्माण
		1.	ख्याला नं. 1, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	32
		2.	रघुबीर नगर, जे.जे. कालोनी राजकीय सह शिक्षा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	16
		3.	राजौरी गार्डन एक्सटेंशन, सर्वोदय कन्या विद्यालय	16
		4.	राजौरी गार्डन मेन, सर्वोदय कन्या विद्यालय	12
		5.	टैगोर गार्डन नं. 2, सर्वोदय कन्या विद्यालय	48
		6.	टैगोर गार्डन राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	12
		7.	टैगोर गार्डन नं. 1, सर्वोदय कन्या विद्यालय	56 कमरे + 1 हाल
(ख)	इन कमरों का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जाएगा; और	1. क्रम संख्या 1 से 6 के स्कूलों के लिये व्यय वित्त समिति के अनुमोदन के पश्चात् कैबिनेट नोट कानून, योजना, वित्त और लोक निर्माण विभाग को टिप्पणियों के लिये भेजा गया है। 2. क्रम संख्या 7 के लिये प्रस्ताव अनुमोदन के लिए वित्त विभाग में भेजा गया था। वित्त विभाग ने प्रस्ताव में स्पष्टीकरण देने के लिए कुछ बिंदु अंकित किये। स्पष्टीकरण देने की प्रक्रिया चल रही है। वित्त विभाग के अनुमोदन के पश्चात् कार्य डीटीटीडीसी द्वारा प्रारम्भ किया जायेगा।		
(ग)	इसके निर्माण की क्या अवधि है ?	उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त लोक निर्माण विभाग तथा डीटीटीडीसी द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।		

  
DDE (PGMS)  
Dte. of Education  
Govt. of NCT of Delhi